




## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विशेष वाद सं० ०५ - (11) / 2019-2020

दिनांक	आदेश फलक	अन्यांक
०७/२/१९	<p>आदेशक श्री जवाहर लाल सिंह पिता सं० आनन्द मोहन सिंह सं० घेमा धनबाद जिला धनबाद द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में मौजा घेमा मौजा सं० ०६ खता सं० १७७, प्लॉट ३९६२ रकबा ०७ किसमिल के हुए दाखिल खारिज केस नं० १००(११) १९७३-७० द्वारा जमाबंदी सं० १७३९ में लगान स्वीकृत निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपिकीय मूलवश एक पुरुष का नाम तथा पिता के नाम के साथे स्व० छुट गया है जिले सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से ज्ञेय प्रतिवेदन प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक २०/२/१९ को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       ६-७-१९                      अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>	
२०/२/१९	<p>अभिलेख उपर्युक्त। संबंधित राजस्व कर्मचारी का ज्ञेय प्रतिवेदन समर्पित। ज्ञेय प्रतिवेदन के अनुसार मौजा घेमा मौजा सं० ०६ खता सं० १७७, प्लॉट ३९६२ रकबा ०७ किसमिल भूमि विवरित दलील सं० १२८१/१७०६८९ द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसे दाखिल खारिज केस नं० १००(११) १९७३-७० द्वारा होकर जमाबंदी सं० १७३९ में लगान स्वीकृत निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपिकीय मूलवश एक व्यक्ति का नाम जवाहर लाल सिंह एवं पिता में स्व० छुट गया है। उक्त भूमि का जमाबंदी सं० १७३९ में रयत मन्दुलाल सिंह पिता आनन्द मोहन सिंह के नाम अंकित है उक्त नाम के साथे जवाहर लाल सिंह और पिता के नाम से स्व० अंकित करने का अनुरोध राजस्व कर्मचारी द्वारा किया है।</p> <p>अतः उक्त कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा घेमा मौजा सं० ०६ खता सं० १७७, प्लॉट ३९६२ रकबा ०७ किसमिल है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपिकीय मूलवश एक व्यक्ति का नाम जवाहर लाल सिंह एवं पिता में स्व० छुट गया है। उक्त भूमि के जमाबंदी सं० १७३९ में रयत मन्दुलाल सिंह पिता आनन्द मोहन सिंह के नाम अंकित है उक्त नाम के साथे जवाहर लाल सिंह और पिता के नाम से स्व० अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व कर्मचारी को सूचित करें।</p> <p>सेवापित एवं-सर्वोपित।</p> <p style="text-align: right;">                       १९-७-१९                      अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>	
	<p style="text-align: left;">                       १९-७-१९                      अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>	

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

द्वारा - अंचल निरीक्षक, धनबाद।

विषय - आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन मौजा धैया मौजा नं० 06 के हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश एक रैयत का नाम तथा पिता के नाम में स्व० छुटा हुआ है। जिसका जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में दिये गये आवेदन एवं संलग्न कागजातों के आधार पर जाँच किया गया। जाँचपरान्त पाया गया कि उक्त भूमि मौजा धैया मौजा नं० 06, खाता नं० 177 प्लॉट नं० 1982 रकबा 07 डिसमिल निबंधित दलील सं० 7281/17.8.89 द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं० 109(11) 1989-90 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 1739 में लगान रसीद निर्गुत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूल वश एक व्यक्ति का नाम जवाहर लाल सिंह एवं पिता में स्व० छुट गया है। जिसे सुधार की आवश्यकता है। उक्त भूमि के जमाबंदी सं० 1739 में रैयत नन्दलाल सिंह पिता आनन्द मोहन सिंह के नाम अंकित है। उक्त नाम के साथ जवाहर लाल सिंह और पिता के नाम में स्व० अंकित करने का अनुशंसा किया जाता है।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

Nehe  
13/07/19  
(श्रीमति नेहा)  
ह०कर्मचारी  
हल्का नं० 02

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
13/7/19  
ci.

*[Handwritten signature]*  
13.7.19

(2)

जवाहरलाल सिंह  
पुत्र जगत सिंह  
निवासी नं. 103 धौसा  
धौसा 320001  
दिनांक - 31-5-2019

सौ. 3

श्रीमान अंचल आर्यवादी  
धौसा

10

दिनांक 14/6/19  
प्र. को. 19

विषय:- सामंजस्य (दाखिल खासियत) आदेश  
दिनांक 14-6-2007  
दाखिल खासियत मुकदमा संख्या 109 धौसा (111)  
89-90

महल (जोधपुर) में  
9

सब से: निवेदन है कि प्रार्थी ने मौखिक धौसा में  
खंड नं. 3982 खाला 177 में 0.7 डेसीमल जमीन  
पर निवेदन खासियत मुकदमा संख्या 109 धौसा (111)  
89-90 में दाखिल खासियत करवा लिया है।

उपरोक्त जमीन नंदूखाल में है एवं जवाहरलाल  
सिंह पुत्र जग. आनंद मोहन सिंह के नाम से  
दाखिल खासियत करवा लिया गया। उपरोक्त  
संदर्भ में दाखिल खासियत करवा लिया है।

उपरोक्त दाखिल खासियत में केवल नंदूखाल  
सिंह का ही नाम लिखा है जवाहर सिंह का उसमें  
उल्लेख नहीं किया है।

दाखिल खासियत दाखिल खासियत की फोटो  
आधी संलग्न है।

श्रीमान जी से प्रार्थना की जाती है  
कि दाखिल खासियत आदेश 14-6-2007 में  
जवाहर सिंह का नाम दर्ज करने का आदेश  
प्राप्ति पर उपयुक्त करें।

धौसा

संदर्भ:-  
दाखिल खासियत फोटो कापी 10  
दाखिल खासियत आदेश 3

आपका विश्वासपात्र  
Nand Lal Singh  
जवाहरलाल सिंह